

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी- शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस्त०)

प्रकरण संख्या - 77/2017

दायर दिनांक - 03/10/2017

निर्णय दिनांक - 22/05/2018

अनवान

1. वरदीबाई पत्नि स्व. मगना भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा

वादीया

बनाम

1. रोशन पिता प्यारचन्द भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
2. पुरणमल पिता प्यारचन्द भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
3. कंचनबाई पत्नि प्यारचन्द भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
4. रामलाल पिता लेहरू भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
5. भैरूलाल पिता लेहरू भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
6. बालीबाई पत्नि नानालाल भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
7. खेमराज पिता नानालाल भांबी निवासी सादडी तह०- रेलमगरा
8. मांगी पुत्री नानालाल पत्नि ओमप्रकाश भांबी निवासी सादडी हाल निवासी विशनपुर तह०- मावली जिला उदयपुर
9. रतन पुत्री नानालाल पत्नि सहदेव भांबी निवासी सादडी हाल जूणदा तह०- रेलमगरा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::

वादीया ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 व 06 से लगायत 09 के पूर्वज नानालाल के संयुक्त व्रतेदारी व अधिपत्य की ग्राम सादडी के आराजी संख्या 2418/1356 कुल किता-01 कुल रकबा 06-13 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 06 से लगायत 09 के पूर्वज नाना का 1/4 हिस्सा अंकित है। जिससे संयुक्त हिस्सा होने से वादीया अपनी कृषि भूमि का सही रूप से उपयोग उपभोग एवं विकास नहीं कर पा

२/००


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ही है। भूमि के विकास हेतु विभाजन आवश्यक होने से वादीया द्वारा वादग्रस्त भूमियों का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली प्रारम्भिक डिक्री पालना में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 के तहत ग्राम पंचायत सादडी पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव अपनी अनुशंषा के प्रस्तुत किया गया। जिस पर वादीया ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादीया का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	वरदीबाई पति स्व. मगना भांबी सा. देह खातेदार	2418/1356 मीन	01-13-05	1.49
	योग	किता -01	01-13-05	1.49
2.	रोशनलाल, पुरणमल, प्रेम पिता प्यारचन्द, कंचनबाई पति स्व. प्यारचन्द 1/3, रामलाल, भैरूलाल पिता लेहरू 1/3, खेमराज, मांगी, रतनी, पिता नाना, बालीबाई पति स्व. नाना 1/3 भांबी सा.देह खातेदार नामा.सं. 1855, 1936, 1986 विरासत	2418/1356/1	04-19-15	4.50
	योग	किता -01	04-19-15	4.50

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प सादडी पर सुनाया गया।


 (शक्तिसिंह भाटी)
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :- 77/2017

अनवान

वादी पक्ष :-

1. वरदीबाई पत्नि स्व. मगना भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. रोशन पिता प्यारचन्द भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
2. पुरणमल पिता प्यारचन्द भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
3. कंचनबाई पत्नि प्यारचन्द भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
4. रामलाल पिता लेहरू भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
5. भैरूलाल पिता लेहरू भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
6. बालीबाई पत्नि नानालाल भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
7. खेमराज पिता नानालाल भांबी निवासी सादडी तह0- रेलमगरा
8. मांगी पुत्री नानालाल पत्नि ओमप्रकाश भांबी निवासी सादडी हाल निवासी विशनपुर तह0- मावली जिला उदयपुर
9. रतन पुत्री नानालाल पत्नि सहदेव भांबी निवासी सादडी हाल जूणदा तह0- रेलमगरा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :- विभाजन

वादी की ओर से :- विष्णु यादव

प्रतिवादी की ओर से :-

में इस आशय मे दिनांक 22/05/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीया का वाद बाबत विभाजन का

२/०

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

स्वीकार किया जाकर ग्राम सादडी के आराजी संख्या 2418/1356 रकबा 06-13 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	वरदीबाई पति स्व. मगना भांभी सा. देह खातेदार	2418/1356 मीन	01-13-05	1.49
	योग	किता -01	01-13-05	1.49
2.	रोशनलाल, पुरणमल, प्रेम पिता प्यारचन्द, कंचनबाई पति स्व. प्यारचन्द 1/3, रामलाल, भैरूलाल पिता लेहरू 1/3, खेमराज, मांगी, रतनी, पिता नाना, बालीबाई पति स्व. नाना 1/3 भांभी सा.देह खातेदार नामा.सं. 1855, 1936, 1986 विरासत	2418/1356/1	04-19-15	4.50
	योग	किता -01	04-19-15	4.50

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर एवम मोहर से जारी से की गई।



(शक्तिसिंह भाटी)

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा